



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 19.09.22

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा नशे के कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को 770 ग्राम गांजे के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थानाध्यक्ष लोनी बोर्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 18.09.2022 को चैकिंग के दौरान समय करीब 23.35 बजे बन्द फाटक रेलवे लाईन के पास से एक व्यक्ति टीटू पुत्र श्यामबाबू गुप्ता निवासी तिलकराम कालोनी सोमबाजार निकट दादा मैरिज हाल थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को 770 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. टीटू पुत्र श्यामबाबू गुप्ता निवासी तिलकराम कालोनी सोमबाजार निकट दादा मैरिज हाल थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

अभियुक्त टीटू का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 716/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
2. मु०अ०स० 0085/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 3- मु०अ०स० 88/18 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 4- मु०अ०स० 124/17 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 5- मु०अ०स० 278/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 6- मु०अ०स० 769/19 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 7- मु०अ०स० 796/17 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 8- मु०अ०स० 803/17 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 9- मु०अ०स० 830/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 10- मु०अ०स० 1082/17 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
- 11- मु०अ०स० 332/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामद का विवरण-

1. 770 ग्राम गांजा नाजायज वरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 मलखान सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
2. उ0नि0 विभान्शू तोमर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
3. का0 08 कुलदीप कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान लूट व चोरी की योजना बनाने वाले 03 शातिर अभि0गण मय 02 अदद चाकू नाजायज व 01 अदद लोहे का पाइप व 01 अदद चाबी का गुछा के गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.09.2022 को मैक्स अस्पताल के पीछे बंद पड़े मल से चैकिंग के दौरान 03 नफर अभियुक्तगण

1. **वीरू सिंह** पुत्र भगत सिंह निवासी नेपाल देश हालपता निवासी सेक्टर 1 वैशाली मकान नंबर ए 52 लोकेश कुमार के मकान में किरायेदार थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद 2. **सुभाष** पुत्र सुखलाल निवासी मोहल्ला चिरौली थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद हाल झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 1 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद 3. **सुरेशपाल** पुत्र झाझन पाल निवासी गूरूपरि विनायक थाना सिविल लाइन जिला बदायूं हाल झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 1 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के मय 02 अदद चाकू नाजायज व 01 अदद लोहे का पाइप व 01 अदद चाबी का गुछा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है



घटना का विवरण-

दिनांक 19.09.2022 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर मैक्स हास्पिटल के पीछे बंद पड़े माल से लूट व चोरी की योजना बनाने वाले 03 नफर अभि0गण 1. वीरू सिंह 2.सुभाष 3. सुरेशपाल उपरोक्त को मय 02 अदद चाकू नाजायज व 01 अदद लोहे का पाइप व 01 अदद चाबी का गुछा के गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभि0गण राहगीरो से लूटपाट व खाली पड़े मकानों में चोरी/लूट करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण-

1. वीरू सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी नेपाल देश हालपता निवासी सेक्टर 1 वैशाली मकान नंबर ए 52 लोकेश कुमार के मकान में किरायेदार थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद
2. सुभाष पुत्र सुखलाल निवासी मोहल्ला चिरौली थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद हाल झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 1 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद
3. सुरेशपाल पुत्र झाझन पाल निवासी गूरूपरि विनायक थाना सिविल लाइन जिला बदायूं हाल झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 1 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद

अभि0गण का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 509/22 धारा 398/401 भादवि बनाम वीरू सिंह आदि 03 नफर उपरोक्त
2. मु0अ0स0 510/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम वीरू सिंह उपरोक्त
3. मु0अ0स0 511/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुभाष उपरोक्त

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

01. दो अदद चाकू नाजायज
02. एक अदद लोहे का पाइप
03. एक अदद चाबी का गुच्छा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज कुमार अत्री
2. उ0नि0 जय शर्मा
3. है0का0 972 मनोज कुमार
4. का0 3820 प्रदीप सिंह
5. का0 3876 हेमेन्द्र उपाध्याय
6. का0 1239 रंजीत सिंह

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पकडा गया अवैध हुक्का बार , 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 03अदद हुक्का, 03अदद हुक्का की प्लेटे, 03 अदद हुक्का की पाईपे, फ्लैवर्ड तम्बाकू 02 अदद चिलम व खाली 03 अदद मिट्टी की चिलम बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा हुक्का बारो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.09.2022 को ऐंजल मेगा मॉल में The Bang Bang बार से चैकिंग के दौरान 03 नफर अभियुक्तगण 1. आदित्य पुत्र मीतु गाँव बिनावर थाना बिनावर जिला बदाँयू उम्र 21 वर्ष हाल पता गाँव भोवापुर थाना कौशांबी जिला गाजियाबाद, 2. ब्रहमा पुत्र महेश कुमार नि0 मं0न0 डी 502 गोकल पुरी थाना गोकलपुरी दिल्ली 94 उम्र 25 वर्ष, 3. अरुण कुमार पुत्र धनेश नि0- गांव शादीपुर कुमरोआ थाना गंगेरी चौराहा जिला अलीगढ़ उम्र 21 वर्ष को मय 03 नफर अभियुक्तगण मय 03 अदद हुक्का, 03 अदद हुक्का की प्लेटे, 03 अदद हुक्का की पाईपे, फ्लैवर्ड तम्बाकू 02 अदद चिलम व खाली 03 अदद मिट्टी की चिलम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण-

1. आदित्य पुत्र मीतु गाँव बिनावर थाना बिनावर जिला बदाँयू हाल पता गाँव भोवापुर थाना कौशांबी जिला गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष
2. ब्रहमा पुत्र महेश कुमार नि0 मं0न0 डी 502 गोकल पुरी थाना गोकलपुरी दिल्ली 94 उम्र 25 वर्ष,
3. अरुण कुमार पुत्र धनेश नि0- गांव शादीपुर कुमरोआ थाना गंगेरी चौराहा जिला अलीगढ़ उम्र 21 वर्ष

अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 508/2022 धारा 21/22 सिगरेट तम्बाकू व अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 बनाम आदित्य आदि 03 नफर

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी -

03अदद हुक्का, 03अदद हुक्का की प्लेटे, 03 अदद हुक्का की पाईपे, फ्लैवर्ड तम्बाकू 02 अदद चिलम व खाली
03 अदद मिट्टी की चिलम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज कुमार अत्री
2. उ0नि0 जय शर्मा
3. है0का0 972 मनोज कुमार
4. का0 3820 प्रदीप सिंह
5. का0 3876 हेमेन्द्र उपाध्याय
6. का0 1239 रंजीत सिंह



थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे दिनाक 07.09.22 मे अनुकम्पा सोसाईटी मे हुई हत्या मे अभियुक्त कृष्ण कुमार पाण्डेय को पुलिस रिमांड पर लाकर निशादेही से हत्या मे प्रयुक्त खुखरी बरामद ।

कार्यवाही- दिनाक 07.9.2022 को अभय खंड क्षेत्र में अनुकंपा अपार्टमेंट में रहने वाले परमेश्वर सिंह की हत्या अभियुक्त कृष्ण कुमार पांडे पुत्र श्री संतोष कुमार पांडे निवासी अनुकंपा सोसाइटी अभय खंड गाजियाबाद द्वारा आपसी विवाद में चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करके कर दी गई थी तथा परमेश्वर की पत्नी नीतू को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था जिस के संबंध में थाना इंदिरापुरम पर मुकदमा अपराध संख्या 1161 /2022 धारा 302 307 आईपीसी पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु इंदिरापुरम पुलिस द्वारा टीमें गठित करके लगातार दबिश एवं घेराबंदी की गई जिसके बढ़ते दबाव के कारण अभियुक्त कृष्ण कुमार पांडे द्वारा दिनांक 13.9.2022 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया था जिसको आज इंदिरापुरम पुलिस द्वारा रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ कर आला कत्ल एक खुखरी बरामद की गई है जिसको कब्जे में लेकर नियम अनुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है-

पीसीआर पर लाये अभियुक्त का नाम व पता

1- कृष्ण कुमार पांडे पुत्र श्री संतोष कुमार पांडे निवासी अनुकंपा सोसाइटी अभय खंड गाजियाबाद बरामदगी

1- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद खुखरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृष्ण कुमार

1- मु0अ0स0 1161/22 धारा 302,307 भादवी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

2- मु0अ0स0 1224/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

अभियुक्तगण से आलाकत्ल बरामद करने वाली टीम:-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री देवपाल सिंह पुन्डीर

2- उ0नि0 प्रथम सिंह

3- का0 1281 देवेन्द्र राठी

4- का0 2605 दिलीप कुमार

5- का0 1389 सुभाष वशिष्ठ व मय चालक सरकारी गाडी

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले 01 नफर अभियुक्त को 60 ग्राम

एलप्राजोलम नशीला पाउडर नाजायज सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा नशे का कारोबार के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नशे का कारोबार करने वाले शातिर किस्म के अपराधी साहिल पुत्र अली हसन नि0 मदीना मस्जिद के पास 30 फुटा रोड मौहल्ला अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मय 60 ग्राम नशीला पाउडर एलप्राजोलम नाजायज के साथ धन्नूराम कट के पास चौकी क्षेत्र खन्नानगर से दिनांक 19.09.2022 को समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

साहिल पुत्र अली हसन नि0 मदीना मस्जिद के पास 30 फुटा रोड मौहल्ला अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

1. मु0अ0सं0 1101/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री रामपाल सिंह चौकी प्रभारी खन्नानगर थाना लोनी गा०बाद
2. है०का० 943 धनेश कुमार थाना लोनी
3. है०का० 322 राकेश कुमार थाना लोनी

बरामदगी का विवरण:-

60 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर नाजायज बरामद होना ।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 01 अदद तमंचा नाजायज मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक दिनांक घटना 19.09.2022 समय 02.35 बजे अभियुक्त आकाश उर्फ हेप्पी पुत्र अनिल चौधरी निवासी आई 15 महेन्द्र इन्कलेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष के पास ड्राईमण्ड फ्लार्डओवर के पास थाना कविनगर क्षेत्र से मय 01 अदद तमंचा नाजायज व -2 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से बरामद नाजायज तमंचा के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु०अ०सं० 1307/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण जनता में अपना रोब जमाने के लिए अपने पास अवैध शस्त्र रखते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

आकाश उर्फ हेप्पी पुत्र अनिल चौधरी निवासी आई 15 महेन्द्र इन्कलेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष **बरामदगी का विवरण -**

01अदद तमंचा नाजायज व 02 जिन्दा कारतूस ।

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

1-मु०अ०सं० 1307/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री शशिकुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. का० 838 तरूण कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का० 952 पंकज कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग मे वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 1048/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तगण 1. नईम पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी लोहियानगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद 2. इरफान पुत्र यासीन निवासी पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को आज दिनांक 19.09.2022 को समय 12.30 बजे मुखबिर की सूचना पर आरडीसी कट से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शातिर किस्म के आपराधी हैं जिसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट/चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है, जो थाना कविनगर पर पंजीकृत लूट के अपराध में जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. नईम पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी लोहियानगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष
2. इरफान पुत्र यासीन निवासी पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त पवन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1048/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 1709/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1716/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1723/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1750/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1754/21 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. है0का0 467 अरविन्द कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का0 2131 तेज कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. का0 1381 मुकेश कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में शामिल 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, व मुख्य अभियुक्त गौरव त्यागी की निशांदाही से आलाकत्ल फांबड़े का बँटा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना मुरादनगर के नेतृत्व में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस, बयान व पूछताछ, भौतिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य संकलित किये गये साक्ष्यों के आधार पर हत्या की घटना में शामिल 02 अभियुक्तगण 1. गौरव त्यागी पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत 2. बिट्टू उर्फ प्रदीप पुत्र ओमकार निवासी चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत को काकडा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त गौरव त्यागी की निशांदाही से आलाकत्ल फांबड़े का बँटा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बजाज पल्सर नं0 UP 16 AY 4290 बरामद की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तों से घटना के बारे में गहनता से पूछताछ कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.08.2022 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव ज्वार के खेत ग्राम डिडौली में मिला, उक्त सूचना के क्रम में थाना मुरादनगर पर दिनांक 12.08.2022 को रपट नं0 21 समय 09.40 बजे तसकरा अंकित किया

गया तथा उक्त अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त श्री तेजवीर उर्फ जोनी पुत्र श्री तेजपाल निवासी ग्राम नेकपुर साबित नगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के रूप में होने पर दिनांक 18.09.2022 को थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 616/22 धारा 323/504/302/201 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट बनाम गौरव त्यागी आदि पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त गौरव उपरोक्त पूछताछ पर बताया कि साहब मैं ग्राम चमरावल में ही भैसों की डेयरी चलाता हूँ। दि0 04/05/अगस्त/2022 की रात्रि मैंने अपने दोस्तों के साथ डेयरी पर ही शराब पी थी। शराब पीने के बाद रात्रि समय करीब 23.00 बजे मेरे दोस्त शीलू आदि अपने अपने घर चले गये थे और मैं घर से अपने व अपने नौकर तेजवीर उर्फ जोनी के लिए खाना लेकर आया था, खाना खाने के बाद हम लोग सो गये थे मुझे अच्छा नशा हो रहा था। सुबह समय करीब 3.00 बजे मेरे नौकर जोनी ने मुझे जगाया और कहा कि उठो भैसो का गोबर हटाना है तथा दूध निकालना है परन्तु मैं नहीं उठा तेजवीर उर्फ जोनी ने मुझे दोबारा उठाने की कोशिश की, इसी बात पर वह मुझे गाली देने लगा मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने वही पर पास में पड़े फावड़े के बेंटे को उठाकर जोनी के सिर व गर्दन पर कई बार मारे जिससे वह अचेत अवस्था में गिर गया और थोड़ी देर बाद मर गया था। फिर बिना फोन किये मैं अपने दोस्त प्रदीप उर्फ बिट्टू नि0 चमरावल को बुलाने गया और वह मेरे साथ चला आया। मैंने प्रदीप उर्फ बिट्टू को सारी बात बतायी और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बजाज पल्सर पर अपने साथी प्रदीप उर्फ बिट्टू की मदद से मृतक तेजवीर को बीच में डालकर ग्राम डिडौली के जंगल में रजवाहा के नजदीक ज्वार के खेत में मृतक जोनी का शव डाल दिया था जहाँ पर एक ट्यूबवैल भी थी। मृतक तेजवीर उर्फ जोनी के चेहरे पर पहचान छुपाने के लिए तेजाब डाल दिया था। साहब जिस फावड़े के बेंटे से मैंने तेजवीर उर्फ जोनी की हत्या की थी व मैंने वहीं अपनी डेयरी में छिपाकर रख दिया था जिसे चलकर मैंने आपको बरामद करा दिया है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. गौरव त्यागी पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2. बिट्टू उर्फ प्रदीप पुत्र ओमकार निवासी चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत

बरामदगी

1. आलाकल्ल फांभड़े का बेंटा
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज पल्सर नं0 UP 16 AY 4290

थाना ट्रानिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभि0 गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -19.09.2022 दौराने चैकिंग समय 10.05 बजे हनुमान चौक के पास पूजा कालोनी की तरफ जाने वाली रोड पर चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त इसराइल पुत्र यासीन नि0 खानका वाली गली, पुनित एन्कलेव थाना ट्रानिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 28 को एक चोरी की मोटर साइकिल काला रंग हीरो पैशन प्रो DL8SCJ2526 के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. इसराइल पुत्र यासीन नि0 खानका वाली गली, पुनित एन्कलेव थाना ट्रानिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 28

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 536/22 धारा 379/411 भादवि थाना ट्रानिका सिटी गाजियाबाद व बनाम इसराइल पुत्र यासीन
2. मु0अ0सं0 381/22 धारा 8/20 स्वापक औष0 अधि0 थाना ट्रानिका सिटी गाजियाबाद बनाम इसराइल पुत्र यासीन

अपराध करने का तरीका

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं बाजारों व मोहल्लों में खड़ी मोटर साइकिल को चोरी कर सस्ते दामों में बेच देते हूँ जिससे मैं अपने शौक व खर्च पुरे करता हूँ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री नवीन कमरा-2
2. है०का० 237 प्रेम सिंह भाटी